

पर्यावरणीय शिक्षा का महत्त्व (Importance of Environmental Education)

पर्यावरणीय अध्ययन को आज एक नवीन अनुशासन के रूप में अपनाया जा रहा है। इसकी प्रकृति बहु-अनुशासनीय मानी गई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विषयों के आयामों, संदर्भों, उपागमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन के महत्त्व को और अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सभी विषय इसके लिए समृद्धि पृष्ठभूमि एवं आधार प्रस्तुत करते हैं। अतः वर्तमान में फैले प्रदूषण द्वारा मानव को सचेत एवं संकेत देना प्राप्त कर दिया है कि वह पर्यावरण के महत्त्व को जाने तथा स्वीकार करे ताकि उसके पर्यावरण के संरक्षण से मुन्ह को स्वयं भी संरक्षण प्राप्त होता रहे। अन्यथा इसके विषम एवं अत्यन्त विकट परिणामों को झेलना पड़ेगा।

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं ने मानवीय जाति को विवश कर दिया है कि वह पर्यावरण के उपयोग एवं महत्त्व को समझे तथा उसके संरक्षण के ठोस एवं समुचित नियन्त्रण के उपायों पर विशेष रूप से बल देना आरम्भ करे। इससे सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अतः पर्यावरणीय विषय के महत्त्व का व्यावहारिक रूप में अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। इसके महत्त्व एवं आवश्यकता को निम्नलिखित रूपों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

1. पर्यावरण का मानव के सभी पहलुओं पर प्रभाव होता है। जिसका मानव जीवन के विभिन्न रूपों पर प्रभाव एवं महत्त्व होता है ताकि मानव अपने जीवन स्थापन को संतुलित रूप में रख सके।
2. पर्यावरण का प्रभाव मानवीय जीव के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। साथ ही मानव जीवन की प्रकृति, विकास, जीवों के व्यवहार एवं परिपक्वता आदि को भी प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से इसके अध्ययन का महत्त्व और अधिक हो जाता है कि किस प्रकार से मानव पर्यावरणीय शक्तियों को समुचित रूप से प्रयोग करके अपने सामाजिक जीवन को सन्तुलित बनाये रखने में समर्थ हो सके।

3. वर्तमान समय में पर्यावरणीय तत्त्वों का मानव द्वारा अत्यधिक तथा अनियन्त्रित उपयोग करने की व्यवस्था है। इससे उपकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। पर्यावरणीय शिक्षण का महत्व अधिक ही गया है कि किस प्रकार मानव पर्यावरणीय उत्पन्न विभिन्न भवेकर बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बच सके अथवा उनका उपचार सके। इसके लिए पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए।
4. पर्यावरणीय अध्ययन मानव की पर्यावरणीय विभिन्न दशाओं से अवगत कराता है ताकि सूझ (Environmental Insight) का विकास हो सके। साथ ही पेड़-पौधों, जंगलों, जलों तथा पहाड़ियों की रक्षा एवं संरक्षण करने का पाठ पढ़ाता है। इनके द्वारा ही जीव जीवन का सम्बन्ध होता है।
5. किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में उसके पर्यावरण का अत्यधिक महत्व है। जल्दा पर्यावरण की सुख समृद्धि लाने में सहायता करता है।
6. पर्यावरण का महत्व एवं उपयोगिता पर्यावरण-सम्बन्धी अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने से जौर अधिक बढ़ गयी है। मानव जीवन की गुणवत्ता में हास तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के कारण पर्यावरण के अध्ययन की महत्ता को अधिक बल मिला है।
7. पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य अपनी सुख-सुविधा की खोज में अपने आस-पास की प्राकृतिक वस्तुओं को विकृत करने में लग गया है। इसके उत्पन्न होने से अब यह सुध ही नहीं है कि वह अपने बातावरण की प्राकृतिक वस्तुओं को विकृत करता जा रहा है। इसका फल यह हुआ है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चला है। नगरों में स्कूल, हैम्प्स, ट्रैक तथा मोटर-गाड़ियों का धुआँ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। दूसरों की सुविधा पर ध्यान न देने वाले सड़क पर बीड़ी और सिगरेट का धुआँ कभी-कभी इस तरह फैलाते जाते हैं कि उनके पीछे दूर तक धुएँ से निकट का वायुमण्डल प्रदूषित रहता है।
8. पर्यावरण दूषित प्रवृत्ति के कारण प्रधानतः नदी, नहर नाले तथा रेलवे लाइन के आस-पास बने हुए मकानों में रहने वालों को नाना प्रकार की गंदगी तथा प्रदूषित वाशुभगड़ियों का शिकार होना पड़ता है। नदियों और नालों में हम अपना कूड़ा-कचरा फेंकते रहते हैं। कुछ नदियों में तो कभी-कभी मरे हुए जानवरों को भी फेंक दिया जाता है। इससे उसका जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के प्रयोग से बीमारी फैलने का भय बना रहता है। नदियों और नालों के पास जनी हुई कुछ फैक्ट्रियाँ तथा मिलें अपनी कचरे को नदियों और नालों में ही छोड़ती रहती हैं। देश की सभी नदियाँ प्रायः किसी न किसी स्थान पर प्रदूषित की जाती रहती हैं। गंगा नदी में ज्यादा प्रदूषण को हटाने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है। परन्तु गंगा को अभी तक प्रदूषणमुक्त नहीं किया जा सका है। हर्ष है कि इसे प्रदूषणमुक्त करने का प्रयास अभी जारी है।
9. लकड़ी को प्राप्त करने के लिए जंगलों की कटाई एक साधारण जात हो गई है। जंगलों के वर्ष होने के कारण कम वर्षा होने का भय हो जाता है। अतएव हमारी सरकार ने हरे पेढ़ों को काटना एक प्रकार का अपराध मान लिया है। इस हेतु दण्ड का स्वरूप भी निर्धारित कर दिया गया है। किसी हरे पेड़ को काटने के लिए सरकारी अनुमति अब आवश्यक हो गई है।
10. हमारे पर्यावरण में रहने वाले विविध प्रकार के पशु, जीव व जन्तु सभी किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। अतः यथासम्भव हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करते रहना है। इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा पर संसार के सभी देशों में बल दिया जा रहा है।
11. पर्यावरणीय शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे हम अपने पर्यावरण में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति तथा किसी समुदाय को सुखद रूप से जीवन बिताने के लिए तैयार करती है।

12. पर्यावरणीय अध्ययन वातावरण से सम्बन्धित समस्याओं को समझ सकने में व्यक्ति की सहायता करता है।
13. पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उसमें व्याप्त प्रदूषण को दूर करने के लिए व्यक्ति में अभिवृत्ति का विकास करता है।
14. पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तियों में आवश्यक कौशल (Skill) उत्पन्न करता है।

सन् 1980 में भारतीय सरकार ने एक पर्यावरणीय विभाग की स्थापना की जो पर्यावरण-नियोजन, प्रोत्साहन और समन्वय के लिए केन्द्र सरकार के आधुनिक ढाँचे का केन्द्र-बिन्दु है। सन् 1985 में एक नया एकीकृत विभाग गठित किया गया जिसका नाम 'पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य विभाग' रखा गया। यह विभाग पर्यावरण नीति, कानून प्रगति का मूल्यांकन, अनुसंधान को प्रोत्साहन, प्रदूषण-नियन्त्रण, वन तथा वन्य जीव प्रबन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पर्यावरण के महत्त्व के विषयों का संचालन करता है तथा इसका महत्त्व निम्नांकित रूप में दिया गया है—

1. विकास योजनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।
2. जल तथा वायु प्रदूषण पर नजर रखना।
3. पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले कारकों, घटनाओं और परिणामों का अध्ययन, पर्यावरण-सम्बन्धी घटनाओं से संसद को अवगत कराना तथा पर्यावरण-सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्रित करना तथा पूर्व सूचना प्रणाली कायम करना।
4. पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पारस्परिक सम्पर्क एवं सहयोग स्थापित करना।
5. पर्यावरण-सम्बन्धी अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रतिपादित करना।
7. प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा तथा संरक्षा करना।
8. पर्यावरण जागृति, शिक्षा और सूचना-सम्बन्धी गतिविधियाँ।
9. भारतीय वनों का सर्वेक्षण करना।
10. पुनरुत्पादन (रिसाइकिंग) कार्यों को प्रोत्साहन देना।
11. विकास योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
12. अपेक्षित अनुसंधान तथा अधिनियमों की रूपरेखा तैयार करना।
13. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना तथा उसके कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना।
14. राज्यों तथा केन्द्र के स्तर पर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना तथा संचालन।
15. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के माध्यम से भूमि के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
16. भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की स्थापना तथा उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
17. वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करना।

इस विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये

1. कृषि एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर बल।
2. मानस टाइगर रिजर्व (असम) तथा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क (असम) तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) को विश्व स्थलों के रूप में स्थापना पर बल।
3. नई वन नीति की घोषणा की गई।

- 155
4. सन् 1973 में 15 बाघ परियोजनाओं के आरक्षण क्षेत्र तथा असम में गैंडे के संरक्षण की योजना बनाई गयी।
 5. अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने पर बल।
 6. वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया।
 7. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया।
 8. सन् 1972 में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली को मान्यता।
 9. अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम 1986 पर बल। इस अधिनियम में कड़े दंड का प्रावधान करके इसके क्षेत्र दायरे को बढ़ाया।
 10. जोखिम वाले पदार्थों का प्रयोग करने वाले कारखाने के लिए अनिवार्य रूप से बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक दायित्व बीमा अधिनियम पारित किया गया।
 11. सन् 1982 में पर्यावरण सूचना व्यवस्था की स्थापना।
 12. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना सन् 1981 में की गई।
 13. हिमालय के पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालय कार्य योजना प्रारम्भ।
 14. देश की प्रमुख नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना की तरह राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का प्रारम्भ किया गया।
 15. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत वन जीवों के बारे में सुसंगत एवं आधुनिक प्रबन्ध का प्रावधान है।
 16. जल, वायु सम्बन्धी अधिनियम इनके प्रदूषण को रोकने में कारगर सिद्ध हुए हैं।
 17. वन (संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य वनों की अनियोजित कटाई तथा वन भूमि का प्रयोग गैर-वनीय कार्यों के लिए रोक लगाने का है।
 18. सार्वजनिक दायित्व बीमा योजना 1991 में यह प्रावधान किया गया है कि जोखिम की आशंका वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य बीमा योजना लागू होगी ताकि दुर्घटना होने पर तत्काल राहत पहुँचाई जा सके।
 19. इन अधिनियमों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है।
 20. मचेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 में भी पर्यावरण को नियमित करने की व्यवस्थाएँ की गई हैं।
 21. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 133 और 144 के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों से सार्वजनिक सुरक्षा और हितों को क्षति न पहुँचने दे। सरकारी अधिकारी हानि पहुँचाने की सम्भावनाओं वाले कार्यों पर रोक लगा सकते हैं।
 22. इसी तरह धारा 269, 277, 219 तथा 426 में भी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लापरवाही करने पर दण्ड का प्रावधान है।